भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 66

सोमवार, 23 जुलाई, 2018/1 श्रावण, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

***66. श्री राजीव सातव:**

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना का अंशदाता बेरोजगारी की स्थिति में उक्त निधि से कितनी राशि का आहरण करवा सकता है;

(ख) क्या ईपीएफओ ने बेरोजगार अंशदाताओं हेतु आहरण संबंधी नियमों में परिवर्तन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नियमों में परिवर्तन से बेरोजगार अंशदाताओं को क्या लाभ होगा;

(घ) नए नियमों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि से नियोक्ता के अंशदान को 58 वर्ष की आयु से पूर्व आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय से निजी कारखानों में कार्य कर रहे कामगारों, जिन्होंने ईपीएफ योजना में नामांकन करवाया है पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(**क**) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

• *****

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के संबंध में श्री राजीव सातव और डॉ हिना विजयकुमार गावीत द्वारा दिनांक 23.07.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 66 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) 1952 का पैरा 69(2) किसी सदस्य को उसके द्वारा आवेदन करने की तिथि के तत्काल पूर्व दो माह की निरंतर अवधि में किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी न रहने पर निधि में उसके नाम से जमा पूरी राशि का आहरण करने के लिए समर्थ बनाता है। हालांकि, दो माह की प्रतीक्षा अवधि संबंधी अपेक्षा विवाह के प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठान की सेवाओं से त्यागपत्र देने वाली महिला सदस्यों के मामले में लागू नहीं होगी।

(ख) और (ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने दिनांक 26.06.2018 को आयोजित अपनी 222 वीं बैठक में ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 जज के अंत:स्थापन संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है,जिससे कोई सदस्य निरंतर एक माह की अवधि के लिए रोजगार में न रहने पर अपने खाते में जमा कुल निधि के 75% का आहरण कर सकेगा।

(घ): उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभाव में लाने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 को संशोधित करने संबंधी राजपत्र अधिसूचना अभी जारी की जानी है।

(ङ): जी, नहीं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 67

सोमवार, 23 जुलाई, 2018/1 श्रावण, 1940 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजना

*67. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुल श्रमिकों के केवल 17 प्रतिशत को ही वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का श्रमिकों के हित में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मौजूदा 15 कानूनों को एक ही "श्रम संहिता" में सम्मिलित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मजदूर यूनियन इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि बदलाव आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या मौजूदा कानूनों में संशोधन हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में श्री धर्मेन्द्र यादव और श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा दिनांक 23.07.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *67 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): ऐसा कोई डेटा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदायी सदस्यों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बीमित व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 4.71 करोड़ और 3.19 करोड़ है।

(ख) से (ङ): श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मौजूदा श्रम कानूनों को कार्यात्मक आधार पर मोटे तौर पर चार अथवा पांच श्रम संहिताओं में समूहबद्ध किया जाना चाहिए। तद्नुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मौजूदा श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, आमेलित और युक्तियुक्त बनाकर क्रमश: मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं संबंधी चार श्रम संहिताओं का प्रारूप तैयार करने हेतु कदम उठाए हैं।

जहां तक सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता का संबंध है, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी श्रम संहिता प्रारूप, 2017 हितधारकों के परामर्श और टिप्पणियों हेतु 16 मार्च, 2017 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया था । पूर्व विधायी परामर्श प्रकिया जारी रखते हुए, सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता संशोधित प्रारूप, 2018 सभी हितधारकों की सूचनार्थ तथा नियोक्ता संगठनों और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्रीय श्रमिक संघों और अन्य हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां/ जानकारियां आमंत्रित करने हेतु भी 1 मार्च, 2018 को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। यह संहिता निम्नलिखित 15 श्रम कानूनों को समामेलित और सम्मिलित करती है:-

1. असंगठित कामगार समाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
2. कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923
3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
4. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
5. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
6. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
7. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946
8. चूनापत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972

9. लौह अयस्क खान, मैंग्जीन अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण (उपकर) अधिनियम, 1976
10. लौह अयस्क खान, मैंग्जीन अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1976
11. बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
12. बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
13. सिने कामगार कल्याण (उपकर) अधिनियम, 1981
14. सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम,1981
15. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार उपकर अधिनियम, 1996

संहिता का ब्यौरा और आगे स्पष्टीकरण मंत्रालय की वेबसाइट https..//labour.gov.in पर उपलब्ध हैं । वर्तमान में यह प्रस्ताव पूर्व विधायी परामर्श चरण में है। मंत्रालय नीति/संहिता को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से जानकारियां लेगा और उन पर विचार करेगा।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 165

सोमवार, 30 जुलाई, 2018/8 श्रावण, 1940 (शक)

सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं

***165. श्री राम चरित्र निषाद:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश में 15,000 रुपये तक का मूल पारिश्रमिक पाने वाले 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले समस्त प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के अंतर्गत अनिवार्यत: सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ देश में संगठित/ अर्ध-संगठित क्षेत्र में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी धनराशि का प्रबंधन करता है तथा इसके 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

***

सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के संबंध में श्री राम चरित्र निषाद द्वारा दिनांक 30.07.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 165 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी)अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रशासित करता है। ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के उपबंध निम्नलिखित पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं :-

(i) प्रत्येक प्रतिष्ठान, जो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ कारखाना है तथा जिसमें बीस अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं; और

(ii) बीस अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला अन्य कोई प्रतिष्ठान अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में यथा अधिसूचित ऐसे प्रतिष्ठानों की श्रेणी।

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत 5,79,120 अंशदाता प्रतिष्ठान हैं। कवर किए गए प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी जिनका वेतन प्रतिमाह 15000/-रुपये तक है, उन्हें भविष्य निधि (पीएफ) सदस्यों के रूप में अनिवार्य रूप से नामांकित करना अपेक्षित होता है।

(ग) और (घ): वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर प्रतिष्ठानों ने 6.23 करोड़ सदस्य खातों में अंशदान जमा किया।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 701

सोमवार, 23 जुलाई, 2018/1 श्रावण, 1940 (शक)

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

701. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय देशभर में फैले अपने श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से बीड़ी कामगारों, अभ्रक खान कामगारों, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कामगारों, लौह अयस्क मैंगनीज, क्रोम अयस्क खान कामगारों तथा सिने कामगारों के लिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कल्याण योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं पहले संसद के विभिन्न उपकर अधिनियमों के अंतर्गत 5 कल्याण उपकर एवं कल्याण निधियों के माध्यम से प्रशासित होती थीं। अब, ये उपकर समाप्त कर दिए गए हैं/जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं और कल्याण योजनाओं को भारत की समेकित निधि से वित्त पोषण के साथ बनाए रखा गया है। इन कल्याण योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) संशोधित एकीकृत आवास योजना-2016: कामगारों को नए मकान के निर्माण हेतु तीन किश्तों में 1,50,000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) शिक्षा योजना: कामगारों के I से XII कक्षाओं में पढ़ने वाले अथवा गैर-व्यावसायिक और व्यावसायिक डिग्री/ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 250/-रुपये से 15,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) स्वास्थ्य योजना: कामगारों और उनके आश्रितों को देशभर के श्रम कल्याण संगठनों के अधीन 12 अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करवाये गये विशेषीकृत इलाज के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

उपर्युक्त तीनों योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2019-20 तक विस्तार किया गया है।

उपर्युक्त कल्याण योजनाओं के अलावा, केंद्र सरकार ने हाल ही में असंगठित कामगारों (18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग) को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं नि:शक्तता छत्र प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समेकन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) से कर दिया है। पीएमजेजेबीवाई 330/- रुपये वार्षिक प्रीमियम पर मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती है। पीएमएसबीवाई 12/- रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना से हुई मौत और नि:शक्तता पर 2 लाख रुपये की कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार पात्र असंगठित कामगारों के लिए प्रीमियम की 50%राशि का अंशदान करती है तथा शेष 50%प्रीमियम का अंशदान करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 754

सोमवार, 23 जुलाई, 2018/1 श्रावण, 1940 (शक)

ईएसआईसी सदस्यों का चिकित्सा बीमा

754. श्री भरत सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनभोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा बीमा कवर सुविधा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के पेंशनभोगियों को जो ईपीएस 1995 के अंतर्गत प्रतिमाह 1000/- रुपये तक की न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा लाभ देने हेतु एक मुख्य योजना तैयार की गई है। परामर्शी प्रक्रिया कार्यान्वयन अधीन है।

(ग): उपरोक्त प्रश्न (क) और (ख) में दिए गए उत्तर के दृष्टिगत यह लागू नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 843

सोमवार, 23 जुलाई, 2018/1 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफओ की मजदूरी की अधिकतम सीमा में वृद्धि

843. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवार्य ईपीएफ कवरेज के अंतर्गत अधिक कर्मचारियों को लाने के लिए और उन्हें पीएफ और पेंशन लाभ देने के लिए प्रतिमास वेतन-सीमा को 15,000 रुपये से 21,000 रुपये बढ़ाने के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को आस्थागित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का संगठित क्षेत्रक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वर्तमान न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति महीना बढ़ाने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का और अधिक संख्या में लोगों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक सामाजिक सुरक्षा नेट के विस्तार का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं।

(ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी कारखाने के रूप में अथवा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रतिष्ठान में, जिसपर अधिनियम लागू किया गया हो, बीस अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है।

देश में सभी पात्र कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के उद्देश्य से शामिल किए जाने योग्य प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाने और अधिनियम की योजनाओं के छत्र के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को भी लाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 852

सोमवार, 23 जुलाई, 2018/1 श्रावण, 1940 (शक)

श्रम कल्याण

852. कर्नल सोनाराम चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों को शामिल श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख): इन योजनाओं पर गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग): क्या सरकार का श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है/प्रस्ताव कर रही है; और

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुख्य रूप से पांच केन्द्रीय अधिनियमों, नामत:, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के माध्यम से प्रदान की जाती है।

जारी----2/

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, असंगठित कामगारों को जीवन एवं अपंगता छत्र, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित मामलों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया गया है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); स्वास्थ्य एवं प्रसूति योजना(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवरेज प्रदान करने के लिए हाल ही में, आम आदमी बीमा योजना(एएबीवाई) का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) के साथ विलय भी किया है। वार्षिक प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा **50:50** आधार पर साझा किया जाता है। सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन(एबी-एनएचपीएम) के सूत्रपात का हाल ही में अनुमोदन किया है जिसमें वंचन और व्यावसायिकता के मानदण्ड के आधार पर 10 करोड़ से अधिक गरीब और असुरक्षित परिवार(लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) शामिल होंगे। योजनाओं के संबंध में उपलब्ध डेटा अनुबंध में दिया गया है।

- ******

अनुबंध

(1) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना(आईजीएनओएपीएस) और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना(एनएफबीएस)**: -

आईजीएनओएपीएस और एनएफबीएस के अंतर्गत निधियों का कुल व्यय (लाख रुपये में)				
	जारी		रिपोर्ट-दर्ज व्यय	
	आईजीएनओएपीएस	एनएफबीएस	आईजीएनओएपीएस	एनएफबीएस
2014-15	418098.05	55781.27	686100.53	37780.44
2015-16	556269.07	63941.89	554623.63	47343.61
2016-17*	148044.42	18577.10	24459.79	2773.50
* अनंतिम				

(2) पिछले चार वर्ष के दौरान दीन परिस्थितियों में फंसे कलाकारों की वित्तीय सहायता(मास्टरशिल्पी कलाकारों के लिए पेंशन) के संघटकों के अंतर्गत किया गया राज्यवार व्यय:

दीन परिस्थितियों में फंसे कलाकार/कलाकारों की पेंशन				
राज्य	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
	संस्वीकृत/प्रयुक्त राशि	संस्वीकृत/प्रयुक्त राशि	संस्वीकृत/प्रयुक्त राशि	संस्वीकृत/प्रयुक्त राशि
आंध्र प्रदेश	0	**108066**	**116949**	**126000**
अंडमान और निकोबार	0	50433	**38983**	**0**
अरुणाचल प्रदेश	23000	29033	**67900**	**84000**
असम	206533	261297	**180000**	**245000**
बिहार	0	1225826	**0**	**1424921**
चंडीगढ़	0	0	**0**	**0**
छत्तीसगढ़	0	52033	**38983**	**42000**
दिल्ली	0	190035	**155932**	**199160**
गोवा	0	0	**0**	**0**
गुजरात	0	254098	**194915**	**210000**
हरियाणा	0	63033	**0**	**31160**
हिमाचल प्रदेश	0	108066	**77966**	**134580**
जम्मू-कश्मीर	0	267746	**116949**	**225580**
झारखंड	0	54033	**0**	**0**
कर्नाटक	0	486297	**388730**	**451160**
केरल	0	996530	**697594**	**535160**

मध्य प्रदेश	0	52033	**38983**	**42000**
महाराष्ट्र	0	352134	**316764**	**294000**
मणिपुर	923599	1301000	**1615900**	**1925000**
मेघालय	0	0	**0**	**46740**
मिजोरम	0	0	**0**	**0**
नगालैंड	276000	348396	**432000**	**420000**
ओडिशा	0	624138	**0**	**330463**
पांडिचेरी	0	54033	**38983**	**0**
पंजाब	0	405587	**233898**	**245000**
राजस्थान	0	540330	**377530**	**378000**
सिक्किम	23000	29033	**0**	**0**
तमिलनाडु	0	244068	**229798**	**322900**
तेलंगाना	0	**352134**	**155932**	**168000**
त्रिपुरा	35000	29033	**36000**	**73160**
उत्तर प्रदेश	**0**	**476097**	**324000**	**1047740**
उत्तराखंड	0	54033	**36000**	**42000**
पश्चिम बंगाल	0	2594071	**0**	**2053564**
कुल	**1487132**	**11602646**	**5910689**	**11097288**

3. <u>हथकरघा बुनकर विस्तृत कल्याण योजना</u>

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस)	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)
	जारी निधि	जारी निधि
2014-15	25.87	16.39
2015-16	01.94	16.67
2016-17	8.57	12.03

(4) पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत जारी निधियां

आरएसबीवाई के अंतर्गत जारी (राशियां करोड़ रुपये में)							
क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**
1	असम	1.06	23.24	54.72	0.00	0.00	79.02
2	बिहार	34.07	-	0.00	0.00	0.00	34.07
3	छत्तीसगढ़	58.81	88.77	114.09	171.38	0.00	433.05

4	गुजरात	18.47	74.24	22.34	15.07	23.52	130.12
5	हरियाणा	5.38	4.67	0.60	0.00	0.00	10.65
6	हिमाचल प्रदेश	3.75	13.90	12.30	6.15	0.00	36.11
7	झारखंड	5.51	-	0.00	0.00	0.00	5.51
8	कर्नाटक	-	94.99	45.89	7.39	21.93	148.27
9	केरल	110.43	112.37	73.29	77.53	0.00	373.62
10	मध्य प्रदेश	8.21	1.00	0.00	0.00	0.00	9.21
11	मणिपुर	1.73	1.17	2.20	0.00	0.00	5.10
12	मेघालय	1.25	4.10	4.10	0.00	11.08	20.53
13	मिजोरम	10.35	9.43	14.13	12.96	0.00	46.87
14	नगालैंड	4.66	-	0.00	4.87	0.00	9.53
15	ओडिशा	93.64	59.55	31.70	55.75	0.00	240.64
16	पुदुचेरी	-	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
17	पंजाब	2.59	2.80	0.00	0.00	0.00	5.39
18	राजस्थान	32.10	53.57	0.00	0.00	0.00	85.67
19	त्रिपुरा	14.29	15.64	10.83	0.04	0.00	40.80
20	उत्तर प्रदेश	36.47	11.91	0.00	0.00	0.00	48.38
21	उत्तराखंड	-	10.20	0.00	9.15	0.00	19.34
22	पश्चिम बंगाल	101.65	93.38	50.47	95.01	0.00	340.51
कुल योग		**544.42**	**675.10**	**436.66**	**455.30**	**56.53**	2111.48

(5) पूर्व आम आदमी बीमा योजना, जिसका अब प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(पीएमएसबीवाई) के साथ विलय हो गया है, के अंतर्गत सामान्यत: नामजद व्यक्ति के पचास प्रतिशत प्रीमियम में सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से वित्तीय छूट दी जाती है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा निधि का रख-रखाव राज्यवार नहीं किया जाता है तथा इसी कारण, राज्यवार व्यय उपलब्ध नहीं है। पिछले वर्षों के दौरान, इस संबंध में किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपये में)**
2013-14	303.82
2014-15	438.57
2015-16	436.58
2016-17	385.34
2017-18	435.16

6) <u>जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)</u>

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए एनएचएम के अंतर्गत जेएसवाई संघटक हेतु राज्यवार एसपीआईपी अनुमोदनों और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

लाख रुपये में

क्रम सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17*	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
क. उच्च फोकस वाले राज्य							
1	बिहार	38714.80	29690.03	31298.31	29552.74	34339.76	12286.07
2	छत्तीसगढ़	6006.53	5294.70	6094.13	6190.44	6914.00	3890.94
3	हिमाचल प्रदेश	226.84	128.36	309.69	297.98	266.49	367.07
4	जम्मू-कश्मीर	2812.44	2167.13	3087.64	2249.78	2431.52	1450.37
5	झारखंड	8641.13	6239.85	9471.54	6599.19	7143.20	4415.89
6	मध्य प्रदेश	18979.77	17155.15	18565.50	18194.31	19240.00	12874.73
7	ओडिशा	9827.84	9782.53	10219.04	9513.52	9546.32	6358.18
8	राजस्थान	19408.05	18364.16	20100.18	17783.60	17628.96	13521.54
9	उत्तर प्रदेश	50921.07	44171.54	51184.55	36764.38	51128.79	29638.58
10	उत्तराखंड	1907.20	1948.48	2113.23	1818.95	1741.45	1160.35
	उप-योग	**157445.67**	**134941.92**	**152443.81**	**128964.88**	**150380.49**	**85963.72**
ख. पूर्वोत्तर राज्य							
11	अरुणाचल प्रदेश	181.90	84.74	230.52	139.49	202.28	51.58
12	असम	10494.20	9056.72	8534.18	8683.12	7156.48	6392.32
13	मणिपुर	197.02	229.04	234.26	294.61	234.26	140.57
14	मेघालय	368.13	234.73	416.13	296.60	462.11	240.19
15	मिजोरम	188.32	70.11	129.43	73.95	128.93	119.44
16	नगालैंड	175.90	120.63	184.14	79.89	182.36	31.78
17	सिक्किम	31.25	26.65	22.50	48.35	31.54	16.39
18	त्रिपुरा	291.87	252.43	318.65	292.51	318.90	178.58
	उप-योग	**11928.59**	**10075.04**	**10069.81**	**9908.52**	**8716.86**	**7170.85**
ग. गैर उच्च-फोकस वाले राज्य							

19	आंध्र प्रदेश	2509.88	3019.07	2494.88	3258.77	2765.55	1653.04
20	गोवा	12.30	4.40	12.30	7.17	12.30	4.06
21	गुजरात	3580.20	3485.26	3616.47	3574.31	2823.37	2091.16
22	हरियाणा	433.39	710.57	535.42	717.48	546.55	350.44
23	कर्नाटक	6585.00	5499.98	6622.50	5987.91	7881.02	4119.74
24	केरल	1313.12	1372.41	1369.67	1389.32	1499.38	857.82
25	महाराष्ट्र	5263.99	4591.24	4982.31	4471.27	5087.17	2528.79
26	पंजाब	1109.24	1367.39	1109.24	1265.90	1081.74	888.41
27	तमिलनाडु	5243.87	4530.20	3991.95	3565.62	4133.57	2360.41
28	तेलंगाना	2282.65	1871.57	1827.50	2205.80	2133.45	1665.19
29	पश्चिम बंगाल	5967.49	6046.42	6975.84	5359.46	5640.00	3985.82
	उप-योग	**34301.13**	**32498.51**	**33538.08**	**31803.02**	**33604.10**	**20504.87**
घ. छोटे राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र							
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.23	5.31	7.23	3.48	7.23	3.89
31	चंडीगढ़	6.12	7.35	13.82	5.79	9.51	6.65
32	दादरा और नगर हवेली	22.40	23.46	22.00	38.51	52.74	32.62
33	दमन और दीव	2.69	1.73	3.05	1.97	3.05	0.90
34	दिल्ली	230.00	118.19	200.85	118.77	161.00	57.85
35	लक्षद्वीप	6.91	9.37	12.13	5.33	12.13	3.07
36	पुदुचेरी	30.35	22.96	26.93	21.92	27.42	13.47
	उप-योग	**305.70**	**188.37**	**286.01**	**195.76**	**273.08**	**118.45**
	कुल योग	**203981.09**	**177703.85**	**196337.70**	**170872.18**	**192974.53**	**113757.89**

* अनंतिम

नोट:

1) एसपीआईपी से तात्पर्य राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना है।

2) व्यय में पिछले वर्ष का अव्ययित शेष, केन्द्रीय अनुदान और राज्य का शेयर शामिल है तथा यह 31.12.2016 तक अद्यतन है।

3) उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 919

सोमवार, 23 जुलाई, 2018/1 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफओ नेट पे-रोल पंजीकरण

919. श्री राम चरित्र निषाद:

क्या **श्रम और रोजगार** राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार ने सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक ईपीएफओ नेट पे-रोल पंजीकरण संख्या को संशोधित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): क्या इस कदम से कुल पंजीकरण संवर्धन सात माह के लिए अनुमानित 3.93 मिलियन की तुलना में 3.44 मिलियन होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग): क्या अप्रैल, 2018 के लिए नेट पे-रोल पंजीकरण सितम्बर, 2017 से अब तक 6.85 लाख था जो अधिकतम था; और

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): अप्रैल, 2018 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने अभिदाताओं के महीनेवार अनंतिम नेट पंजीकरण आंकड़ों को अपने वेब पोर्टल epfindia.gov.in के माध्यम से प्रकाशित कर रहा है। ये आंकड़े सितम्बर माह, 2017 से जारी किए जा रहे हैं। आंकड़ों की प्रकृति परिवर्तनीय है और इनको एकत्र किया जा रहा है।

(ग) और (घ): जी हां। मासिक विवरणी को प्रस्तुत करने के माध्यम से स्थापनों द्वारा पंजीकृत कर्मचारियों के विवरण के अनुसार 20 जून, 2018 को प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर अप्रैल, 2018 में भविष्य निधि के नेट पंजीकृत सदस्यता की संख्या 6,85,841 है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1872

सोमवार, 30 जुलाई, 2018/8 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफओ के भवन

1872. श्री पशुपति नाथ सिंह:

श्री रवीन्द्र कुमार राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के भवनों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का श्रमिकों के लाभ के लिए ईपीएफओ के भवनों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के स्वामित्व वाले भवनों की कुल संख्या 78 है। राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वामित्व वाले भवनों की संख्या	क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वामित्व वाले भवनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3	12	मध्य प्रदेश	5
2	तेलंगाना	5	13	महाराष्ट्र	8
3	कर्नाटक	5	14	असम	1
4	गोवा	1	15	त्रिपुरा	1
5	बिहार	1	16	ओडिशा	2
6	तमिलनाडु	8	17	पंजाब	5
7	दिल्ली	4	18	हिमाचल प्रदेश	1
8	उत्तराखंड	1	19	राजस्थान	4
9	गुजरात	2	20	उत्तर प्रदेश	7
10	हरियाणा	5	21	पश्चिम बंगाल	6
11	केरल	3	कुल		78

(ख) से (घ): जी, हां। ईपीएफओ के 11 नए कार्यालय भवन आंध्र प्रदेश (1), कर्नाटक (4), झारखंड (2), तमिलनाडू (1), मध्य प्रदेश (1), ओडिशा (1) तथा उत्तर प्रदेश (1) राज्यों में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, इसके अलावा 5 प्रस्ताव संकल्पना चरण में हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1892

सोमवार, 30 जुलाई, 2018/8 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफ निवेश

1892. श्रीमती वी. सत्यबामा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईपीएफ राशि को विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में और विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों तथा इक्विटी सहित कुछ निजी कंपनियों के ब्ल्यू चिप शेयरों में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शीर्ष दस कंपनियों में कंपनी-वार निवेशित कुल राशि कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा इपीएफ अंशदाताओं के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ईपीएफ की परिधि के अंतर्गत दोनों संगठित और असंगठित क्षेत्र के अधिक कर्मियों को लाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किस स्तर तक सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) निफ्टी 50, सेन्सेक्स तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(सीपीएसई) तथा भारत 22 सूचकांकों के आधार पर विनिमेय व्यापार निधियों(ईटीएफ) में निवेश कर रहा है। ईपीएफओ अलग-अलग कंपनियों के शेयरों और इक्विटी में निवेश नहीं करता है।

(ख): जून, 2018 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश की गई कुल राशि 48,946 करोड़ रुपये है।

(ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) ने 31.03.2015 को सम्पन्न अपनी 207वीं बैठक में केवल शेयर और संबद्ध निवेशों के वर्ग में विनिमय व्यापार निधि(ईटीएफ) में निवेश करने का निर्णय लिया था।

(घ) और (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन बनाई गई स्कीमों के अंतर्गत लाभ उन प्रतिष्ठानों में कार्यबद्ध कामगारों के लिए उपलब्ध हैं जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 उसप्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जिसमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, जो या तो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में संलग्न कारखाना हो या ऐसा प्रतिष्ठान हो जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया हो।

ईपीएफओ द्वारा 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान कर्मचारी नामांकन अभियान, 2017 आरंभ किया गया था, जिसे 30.06.2017 तक आगे बढ़ाया गया था। अभियान के दौरान 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच किसी कारणवश गैर-नामांकित रहे कामगारों को नामांकित करने के लिए प्रतिष्ठानों को विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश की गई।

कोई नियोजक जो चाहे पहले से कवर हो या अभी कवर किया जाना हो, अभियान की अवधि के दौरान 01.04.2009 और 31.12.2016 के बीच किसी कारणवश गैर-नामांकित रहे कर्मचारियों की घोषणा करके इन कर्मचारियों को नामांकित करा सकता था। परिणामस्वरूप, अभियान के दौरान लगभग 1 करोड़ कर्मचारी नामांकित किए गए थे।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2034

सोमवार, 30 जुलाई, 2018/8 श्रावण, 1940 (शक)

विमानपत्तनों पर ठेके पर कार्यरत मजदूर

2034. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों में विशेषकर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुंबई (महाराष्ट्र) में कार्यरत ठेका मजदूर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुंबई के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में कार्यरत ठेका मजदूरों के श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार ठेका मजदूरों से संबंधित श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों सहित क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): मुंबई विमानपत्तन में कार्यरत ठेका श्रमिकों से संबंधित विवरण अनुबंध (क) के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ड.): विभिन्न श्रम कानूनों का अनुपालन सूनिश्चित करने के लिए, केन्द्र और राज्यों की अपनी-अपनी प्रवर्तन एजेंसियां हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) विद्यमान है। मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप मुख्य श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) के देश-व्यापी नेटवर्क को निरीक्षण करने और श्रम विवादों से उत्पन्न शिकायतों/दावों को निपटाने हेतु अधिदेश प्राप्त है।

केन्द्रीय क्षेत्र प्रतिष्ठानों में गत चार वर्षों के दौरान लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत सीआईआरएम विंग द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण अनुबंध-ख के रूप में संलग्न है।

** *******

अनुबंध-क

गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई विमानपत्तन में कार्यरत ठेका श्रमिक से संबंधित विवरण:

वर्ष	ठेका श्रमिकों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	दायर किए गए अभियोजनों की संख्या
2015-16	6536	13	212	4
2016-17	6551	45	945	22
2017-18	6300	102	2256	84

अनुबंध-ख

केंद्रीय क्षेत्र में गत चार वर्षों के दौरान लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों का विवरण

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्रम सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	4744	10593	8843	8490
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	60184	117936	89296	97779
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	66228	73741	68808	68716
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3140	3411	3168	3538
5	दोषसिद्धियों की संख्या	3012	2009	2266	2583

भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996

क्रम सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	694	2086	1372	1473
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	9546	21870	15689	20315
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	15777	15695	16360	8808
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	265	309	265	370
5	दोषसिद्धियों की संख्या	219	193	297	248

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

क्रम सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1643	2340	4117	4386
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	1682	1846	5253	3513
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	2634	1502	2607	2172

4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	535	178	301	408
5	दोषसिद्धियों की संख्या	762	472	317	516

अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

क्रम सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	78	173	122	209
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	1038	2744	2214	2952
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	1734	2240	1848	1939
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	49	61	52	57
5	दोषसिद्धियों की संख्या	35	44	59	47

मजदूरी संदाय (खान)

क्रम सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1657	1353	1872	1955
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	17802	12441	17774	15792
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	23308	13734	14633	9398
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	1121	216	515	312
5	दोषसिद्धियों की संख्या	709	258	255	610

मजदूरी संदाय (रेलवे)

क्रम सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**

1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	619	153	338	918
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	3484	1439	2117	5872
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	17872	1939	2296	1921
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	0	0	31	10
5	दोषसिद्धियों की संख्या	2	3	2	9

मजदूरी संदाय (ए.टी.एस.)

क्रम सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	66	122	211	362
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	555	1489	4076	3000
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	629	621	3572	1087
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	6	10	20	124
5	दोषसिद्धियों की संख्या	9	20	10	23

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्रम सं.	**विवरण**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6582	9803	9151	9187
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	68747	75938	61689	77399
3	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	87809	46467	53255	39620

4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3774	1549	2321	1651
5	दोषसिद्धियों की संख्या	2782	1476	1951	2205

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3003

सोमवार, 6 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940(शक)

ईएसआईसी के माध्यम से स्वायत्त परिचर्या सेवाएं

3003. श्री देवेन्द्र सिंह भोले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से पेंशनरों और असंगठित क्षेत्र हेतु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रारंभ करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इससे लाभान्वित होने वाले कामगारों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अब तक कुल कितना व्यय किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3009

सोमवार, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक)

श्रम कानूनों का संशोधन

3009. श्रीमती कमला पाटले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मौजूदा श्रम कानूनों और नीतियों को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समीक्षा/जांच करने के लिए कोई सर्वेक्षण शुरु किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार मौजदूा श्रम कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न श्रम संगठनों और औद्योगिक संगठनों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंतरराष्ट्रीय संधियों और कन्वेंशन के अनुरूप सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम कानूनों में सुधार समय की मांग के अनुसार उनको और प्रभावी, लचीला तथा उभरते आर्थिक तथा औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप बनाने हेतु वैधानिक प्रणाली के अद्यतन की एक अनवरत प्रक्रिया है। तदनुसार श्रम संबंधी द्वितीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मौजूदा केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, आमेलित तथा युक्ति संगत बनाने के द्वारा वेतन संबंधी चार श्रम संहिताओं के प्रारूपण हेतु कदम उठाए हैं जो क्रमश: औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा; तथा व्यावसायिक सुरक्षा; स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं हैं। इनमें से, वेतन संबंधी श्रम संहिता लोक सभा में 10.08.2017 को पेश की गई तदुपरांत इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया । बाकी संहिताएं पूर्व-विधायी परामर्शी चरण में है।

(घ): श्रम संबंधी विधायी सुधारों की प्रक्रिया में हितधारकों के साथ परामर्श शामिल है जिसमें त्रिपक्षीय परामर्श के रूप में केन्द्रीय सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से मान्यता प्राप्त केन्द्रीय श्रमिक संघ, नियोक्ता संगठन तथा राज्य सरकारें शामिल हैं। विभिन्न अधिनियमों/नियमों में संशोधन को अंतिम रूप देते समय त्रिपक्षीय परामर्शा के दौरान प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाता है।

(ङ): अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के अभिसमयों का अनुसमर्थन किए जाने पर अनुसमर्थन करने वाले देश के लिए वह विधिक रूप से बाध्यकारी हो जाता है। किसी अभिसमय का अनुसमर्थन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। भारत किसी अभिसमय का अनुसमर्थन तभी करता है जब हमारे राष्ट्रीय कानून और कार्यप्रणाली उस अभिसमय के अनुकूल हों। मौजूदा श्रम कानूनों में कामगारों के लिए कई कल्याण उपायों का प्रावधान है जो वेतन सुरक्षा, नौकरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कई अन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण उपाय सुनिश्चित करते हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3033

सोमवार, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक)

ईपीएफओ के जिला कार्यालय/सेवा केन्द्र

3033. श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने देश में विभिन्न स्थानों पर अपने जिला कार्यालयों/सेवा केन्द्रों का उन्नयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु में ईपीएफओ के और अधिक कार्यालय खोले जाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी हां। ईपीएफओ ने देश में विभिन्न स्थानों पर 117 जिला कार्यालयों/सेवा केन्द्रों का उन्नयन किया है। इनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): जी नहीं।

***

अनुबंध

"ईपीएफओ के जिला कार्यालयों/सेवा केन्द्रों" के संबंध में श्री टी. जी. वेंकटेश बाबू द्वारा दिनांक 06.08.2018 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न 3033 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला कार्यालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	11
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	4
4	बिहार	5
5	छत्तीसगढ़	1
6	गुजरात	8
7	हरियाणा	5
8	हिमाचल प्रदेश	4
9	झारखंड	7
10	कर्नाटक	8
11	केरल	5
12	मध्य प्रदेश	6
13	महाराष्ट्र	4
14	मणिपुर	1
15	मिजोरम	1
16	नागालैंड	1
17	ओडिशा	5
18	पंजाब	7
19	राजस्थान	8
20	सिक्किम	1
21	तमिलनाडु	13
22	तेलंगाना	2
23	त्रिपुरा	1
24	उत्तर प्रदेश	4
25	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	**117**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3183

सोमवार, 6 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक)

ड्राइवरों का कल्याण

3183. श्री राजकुमार सैनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ड्राइवरों एवं उन पर निर्भर उनके परिवारों की सुरक्षा (पेंशन, ईएसआई एवं भविष्य निधि) के संबंध में कोई विशिष्ट विधेयक पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ड्राइवरों को सारथी सुरक्षा कार्ड जारी कर उन्हें ये लाभ प्रदान किए जाएंगे तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कोई ड्राइवर जो किसी स्थापन अथवा किसी प्रक्रिया अथवा किसी कारखाने में, जहां 10 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हों, के अंतर्गत कार्यरत हो तो वह कर्मचारी राज्य बीमा के लाभों का पात्र होगा और कोई ड्राइवर जो किसी स्थापन अथवा किसी प्रक्रिया अथवा किसी कारखाने में, जहां 20 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हो, के अंतर्गत कार्यरत हों तो वह कर्मचारी भविष्य निधि के लाभों का पात्र होगा।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान के उद्देश्य से असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया गया है ताकि असंगठित कामगारों को जीवन एवं नि:शक्तता छत्र, स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण से संबंधित मामलों से जुड़ी कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराई जा सकें। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय); स्वास्थ्य एवं मातृत्व योजनाएं (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का भी क्रियान्वयन कर रही है ताकि असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के अनुसार जीवन एवं नि:शक्तता छत्र प्रदान किया जा सके।

वर्तमान में, सारथी सुरक्षा कार्ड से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3197
सोमवार, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

3197. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्यालः
श्री कीर्ति आजादः
श्री निशिकान्त दुबेः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री राजेश पाण्डेयः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देश में रोजगार सृजन के संवर्धन हेतु उद्योगों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में योजना के अंतर्गत इसके आरंभ से बिहार और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने उद्योगों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है;
(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधियां निर्धारित और प्रदान की गई हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इनमें कितनी सफलता मिली है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 09.08.2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की थी, जिसका उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना तथा अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक बनाना है। भारत सरकार नियोक्ताओं के अंशदान के हिस्से के 8.33% का भुगतान करती रही है जो नए कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन निधि (ईपीएस) में जाता है। सरकार अब 01.04.2018 से नियोक्ताओं के पूरे हिस्से (ईपीएस+ईपीएफ दोनों) का भुगतान कर रही है। यह योजना ऐसे कर्मचारियों के लिए नया यूएएन प्राप्त करने की तारीख अथवा 09.08.2016, जो भी बाद में हो, से उनकी नियुक्ति के पहले 3 वर्षों के लिए जारी रहेगी, बशर्ते कि वे किसी ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान में अपना रोजगार जारी रखें। 25.07.2018 की स्थिति के अनुसार, लाभान्वित प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 76171 और लाभान्वित कर्मचारियों की कुल संख्या 6112527 है (बिहार और महाराष्ट्र राज्य सहित)। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना अनुबंध में दी गई है।

(घ): वित्त वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए आवंटित निधियों (बीई) की कुल धनराशि 3652.09 करोड़ रुपए है और इसमें से 1762.94 करोड़ रुपए पीएमआरपीवाई के कार्यान्वयन के लिए ईपीएफओ को जारी की गई है।

(ङ): पीएमआरपीवाई के क्षेत्राधिकार और पहुंच में विस्तार करने के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट, 2018 में की गई घोषणा की तर्ज पर दिशानिर्देशों (दिनांक 23/2/2017 का पाठ) में दिनांक 12/04/2018 के कार्यालय ज्ञापन के तहत संशोधन किए हैं।

"भारत सरकार 01.04.2018 से नए कर्मचारियों को 3 वर्षों के अवधि के लिए और विद्यमान लाभार्थियों को उनकी 3 वर्षों की शेष अवधि के लिए ईपीएफओ के माध्यम से नियोक्ताओं के समय-समय पर स्वीकार्य पूरे अंशदान (ईपीएफ+ईपीएस दोनों) का भुगतान करेगी। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 है।"

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 06-08-2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3197 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई के अंतर्गत प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को लाभों के बारे में 25-07-2018 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार सूचना

राज्य	लाभान्वित प्रतिष्ठान	लाभान्वित कर्मचारी
आंध्र प्रदेश*	5456	488869
असम	254	5083
बिहार	364	72070
चंडीगढ़	2031	83073
छत्तीसगढ	1478	59164
दिल्ली	3230	371122
गोवा	134	4934
गुजरात	8012	560853
हरियाणा	4083	512317
हिमाचल प्रदेश	1859	72740
झारखंड	434	19578
कर्नाटक	4965	569433
केरल	2488	108813
मध्य प्रदेश	2786	181825
महाराष्ट्र	9273	1106087
ओडिशा	1212	66947
पंजाब	3369	106766
राजस्थान	4728	233331
तमिलनाडू	8037	710088
उत्तर प्रदेश	7870	441945
उत्तराखंड	1792	159097
पश्चिम बंगाल	2316	178392
कुल योग	76171	6112527

*तेलंगाना भी शामिल है।

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3220
सोमवार, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (शक)

पेंशन संवर्धन योजना

3220. श्री रामदास सी॰ तडसः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेंशन संवर्धन योजना की स्वीकृति के पश्चात् देश में लगभग एक करोड़ रोजगार उपलब्ध/सृजित होने की संभावना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की विद्यमान स्थिति क्या है;
(ग) देश में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे/होने वाले लोगों की संख्या का ब्यौरा है; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई पेंशन संवर्धन योजना लागू नहीं की जा रही है। तथापि, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों हेतु 01.04.2018 से ईपीएस एवं ईपीएफ के लिए समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है तथा यह आगामी 3 वर्षों हेतु सभी क्षेत्रों पर लागू है। 30 जुलाई, 2018 तक प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (एमआरपीवाई) के तहत 61.36 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए 76908 प्रतिष्ठानों को लाभ प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए आबंटित निधियों की कुल धनराशि 3652.09 करोड़ है।

*****